न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 79/2018
अनवान : –

1. श्री मेघनाथ मठ डेरा गोरखाना जरिये मठाधिश योगी गोपालनाथ जाति नाथ निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. दाननाथ पुत्र भेरा नाथ जाति नाथ निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. प्रेमनाथ पुत्र भैरनाथ जाति नाथ निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 18/07/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 263/217 के ख0न0 487 की कुल 10.6860 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता की भूमि है। वाद भूमि मुश्तरका होने के कारण से वादी व प्रतिवादीगण में खाता, सींव व लगान से सम्बन्धित हमेशा तनाजात बना रहता है तथा लड़ाई झगड़ा बना रहता है जिस कारण से वादी मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग करवाकर अलग से खाता तकसीम करवाना चाहते है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर राजस्व लोक अदालत 2018 कैम्प कोर्ट गोरखाना में मजमे आम में वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवालोकर किया। पत्रावली में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षकारों के अगूंठा/हस्ताक्षर है यानि की सभी पक्षकारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर सहमत है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:52:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 263/217 के ख0न0 487 की कुल 10.6860 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 श्री मेघनाथ मठ डेरा गोरखाना सा0 देह खातेदार – **ख0न0 487 रकबा 06.638 हैक्ट कुल रकबा 06.638 हैक्ट**

2 داननाथ पुत्र भेरा नाथ जाति नाथ सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर– **ख0न0 487/1 रकबा 02.024 हैक्ट**

3 प्रेमनाथ पुत्र भैरनाथ हि0 1/16, बिमला पत्नी प्रेमनाथ हि0 15/16 जाति नाथ साकिन देह खातेदार रहन बिमला पत्नी प्रेमनाथ हि0 15/16 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर– **ख0न0 487/2 रकबा 02.024 हैक्ट**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 18/07/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:52:13 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या :— 79/2018
अनवान : —

1. श्री मेघनाथ मठ डेरा गोरखाना जरिये मठाधिश योगी गोपालनाथ जाति नाथ निवासी गोरखाना तहसील नोहर।

— वादी

बनाम्

1. दाननाथ पुत्र भेरा नाथ जाति नाथ निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. प्रेमनाथ पुत्र भैरनाथ जाति नाथ निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 79 सन 2018 निर्णय दिनांक 18/07/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता स0 263/217 के ख0न0 487 की कुल 10.6860 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

1. श्री मेघनाथ मठ डेरा गोरखाना सा0 देह खातेदार — **ख0न0 487 रकबा 06.638 हैक्ट कुल रकबा 06.638 हैक्ट**
2. दाननाथ पुत्र भेरा नाथ जाति नाथ सा0 देह खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर— **ख0न0 487/1 रकबा 02.024 हैक्ट**
3. प्रेमनाथ पुत्र भैरनाथ हि0 1/16, बिमला पत्नी प्रेमनाथ हि0 15/16 जाति नाथ साकिन देह खातेदार रहन बिमला पत्नी प्रेमनाथ हि0 15/16 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर— **ख0न0 487/2 रकबा 02.024 हैक्ट**

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना—अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 18/07/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 14:32:13 IST
Reason: SelfAttested